

प्रेषक,

नवीन चन्द्र बाजपेई,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ०प्र० ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लेखनऊ : दिनांक : 16, नवम्बर, 2006

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत रोगी कल्याण समिति का गठन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में कार्यरत चिकित्सा सुधार कमेटी को विघटित करके प्रत्येक चिकित्सालय स्तर पर "रोगी कल्याण समिति" गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसका पंजीकरण कराया जायेगा। इस समिति के नियन्त्रणाधीन यूजर चार्ज, तथा दान आदि से प्राप्त धनराशि को भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार रखा जायेगा एवं उसका उपयोग किया जायेगा। वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार जमा धनराशि का 50 प्रतिशत इकाई के सुदृढीकरण एवं अन्य मदों में उपयोगार्थ प्रयुक्त किया जा सकेगा एवं बाद में लिये गये निर्णय के अनुसार इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।

उद्देश्यः—

1. स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिकतम प्रणाली द्वारा जनसमुदाय तक पहुँचाना।
2. चिकित्सालयों एवं अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा संचालित किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण।
3. दूरस्थ समुदाय हेतु आउटरीच सेवायें/स्वास्थ्य कैम्प आयोजित करना।
4. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा समुदाय के लाभार्थियों से सेवाओं की उपलब्धता के सम्बन्ध में फीडबैक लेना।
5. स्थानीय स्तर पर डोनेशन, यूजर चार्ज तथा अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाना।

उक्त कार्य करने के लिए जनपदीय महिला एवं पुरुष चिकित्सालय पर निम्न समिति गठित की जाएगी।

क-जिला स्तरीय चिकित्सालय हेतु समिति:- इसके निम्न अंग होंगे।

(1) कार्यकारी समिति (एक्जीक्यूटिव कमेटी):-

- अध्यक्ष - मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष) एवं सहअध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (महिला)
- सदस्य सचिव-वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा अधीक्षक पुरुष द्वारा नामित)
- सदस्य - जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी

- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि।
- नगरीय क्षेत्र के कार्यरत चिकित्सालयों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- जिला परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- चिकित्सालय के अन्य अधिकारी (अधीक्षक द्वारा नामित)
- इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन/अन्य हेल्थ एसोसिएशन/डोनर एजेंसी के प्रतिनिधि।

बैठक का अन्तराल:-

एक्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

कर्तव्य एवं दायित्व:-

बैठक में चिकित्सालय में आने वाले बाह्य रोगी एवं अन्तः रोगियों को पिछले माह दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा एवं आगामी माह हेतु रणनीति पर चर्चा की जायेगी। आउटरीच सेवाओं की समीक्षा एवं रणनीति पर चर्चा की जायेगी। सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु चर्चा की जायेगी।

(2) सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी):-

- | | |
|------------|--|
| अध्यक्ष | - मेयर अथवा/अध्यक्ष नगरपालिका/अध्यक्ष जिला परिषद। |
| सदस्य | - कार्यकारी अधिकारी (अध्यक्ष जिला परिषद द्वारा नामित)। |
| | - स्थानीय विधायक/सांसद |
| | - क्षेत्र में कार्यरत सक्रिय एन0जी0ओ0 यथा-रोटरी, जेसीज आदि। |
| सदस्य सचिव | - वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय द्वारा नामित)। |

बैठक का अन्तराल:-

एडवाइजरी कमेटी की बैठक प्रत्येक 2 माह पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

गतिविधियाँ:-

- चिकित्सालय के वार्डों का भ्रमण।
- रोगियों से फीडबैक प्राप्त करना।

बैठक का अन्तराल:-

एडवाइजरी कमेटी की बैठक प्रत्येक 2 माह पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

गतिविधियाँ:-

- चिकित्सालय के वार्डों का भ्रमण।
- रोगियों से फीडबैक प्राप्त करना।
- अस्पताल से विमुक्त करते समय रोगियों द्वारा लिखित गोपनीय फीड बैक।
- बाह्य रोगी विभाग में शिकायत पेट्री के माध्यम से फीडबैक।
- रोगियों से सामान्य चर्चा के दौरान फीडबैक।

मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार कर निम्न को प्रेषित की जानी है:-

- जिलाधिकारी, अध्यक्ष, एक्जीक्यूटिव कमेटी।
- समिति के अन्य सदस्य।

ख-सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 हेतु रोगी कल्याण समिति:-

इस समिति के निम्न अंग होंगे।

(1) कार्यकारी समिति (एकजीक्यूटिव कमेटी):-

- अध्यक्ष - चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्साधिकारी।
सदस्य सचिव - अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्साधिकारी।
सदस्य - जिलाधिकारी द्वारा नामित।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारी-आईसी0डी0एस0, पंचायत तथा ग्रामीण विकास।

बैठक का अन्तराल:- एकजीक्यूटिव बॉडी की बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जायेगी।

कर्तव्य एवं दायित्व:-

बैठक में स्वास्थ्य केन्द्र में आने वाले बाह्य रोगी एवं अन्तः रोगियों को पिछले माह दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा एवं आगामी माह हेतु रणनीति पर चर्चा की जायेगी। आउटरीच सेवाओं की समीक्षा एवं रणनीति पर चर्चा एवं सलाहकार समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु चर्चा की जायेगी।

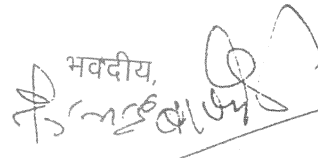
(2) सलाहकार समिति (एडवाइजरी कमेटी) :-

- अध्यक्ष - पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित प्रतिनिधि।
सदस्य सचिव - अधीक्षक द्वारा नामित चिकित्साधिकारी।
सदस्य - जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि।

गतिविधियाँ:-

जिला चिकित्सालय स्तर की सोसाइटी की गतिविधियों के समान ही रहेंगी।
एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट निम्न को प्रेषित की जायेगी :-

- जिलाधिकारी।
- अध्यक्ष, एकजीक्यूटिव कमेटी।
- चिकित्सालय समिति के अन्य सदस्य।

भवदीय,


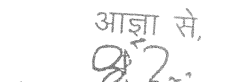
(नवीन चन्द्र बाजपेई)
मुख्य सचिव

संख्या-2751 /5-9-06 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मेयर/अध्यक्ष नगर पालिका/अध्यक्ष जिला परिषद/पंचायत समिति के अध्यक्ष।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0।
- 3- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।

15/11/06

आज्ञा से,

(अरुण कुमार मिश्र)
प्रमुख सचिव